6.10.21

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या– 02/2021

सांजो कुंवर (विक्रेता)

बनाम्

नीलम देवी (क्रेता)

आदेश

प्रस्तुत वाद सांजो कुंवर पति– स्व0 फेकन राम, ग्राम– बाईपास चौक लातेहार, थाना+जिला– लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता नीलम देवी, पति– विजय राम, ग्राम– जिलंगा, थाना– बालूमाथ, जिला– लातेहार के साथ मौजा– कोमो, खाता संख्या–43 प्लॉट संख्या– 27 रकबा– 0.15 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जाचं प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, लातेहार से की गयी।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक– 251 दिनांक 08.07.2021 से अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों चमार (अनुसूचित जाति) जाति के सदस्य हैं, तथा दोनो एक हीं जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदिका को अपनी पुत्री के शादी एवं घर मरम्मति के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का खतियानी भूमि है तथा जमाबन्दी पति स्व0 फेकन राम वगैरह के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका द्वारा धारित भूमि का रकबा– 2.64 एकड़ है, जिसमें से आवेदिका रकबा–0.15(शून्य दशमलव एक पांच) एकड़ भूमि क्रेता नीलम देवी के साथ बिक्री करना चाहती हैं। आवेदिका द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदिका के पास रकबा–2.24 एकड़ भूमि शेष बचता है। आवेदिका द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया। अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, लातेहार के अनुशंसा के आधार पर बिक्रेता सांजो कुंवर पति– स्व0 फेकन राम, ग्राम– बाईपास चौक लातेहार, थाना+जिला– लातेहार द्वारा मौजा– कोमो, खाता संख्या–43 प्लॉट संख्या– 27 रकबा– 0.15 एकड भूमि का क्रेता नीलम देवी, पति– विजय राम, ग्राम– जिलंगा, थाना– बालूमाथ, जिला– लातेहार के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2021.12.18 13:00:02 +05:30
Location: 10.93.47.14

Scanned with CamScanner